राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं

राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ

राजस्थान, जयपुर

कमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ /स्वा. प्रबं/SSB/2015/ 1318 दिनांक : 29/X/15

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 05.10.2015 को अपरान्ह एक बजे से स्वास्थ्य भवन के आरएचएसडीपी के बैठक हॉल में राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय तथा पदेन अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी माननीय राजेन्द्र सिंह राठौड की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में संलग्न सूची (परिशिष्ठ 'अ') के अनुसार माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य संबंधित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

श्री नवीन जैन अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण तथा मिशन निदेशक एनएचएम ने माननीय अध्यक्ष महोदय एवं **"बेटी बचाओं अभियान"** की ब्रांड एम्बेसेडर राजकुमारी दीया कुमारी सहित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक के निम्न एजेन्डा आइटम पर संक्षिप्त विवरण पेश किया :–

1. पिछली केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 24.06.2015 को लिये गये निर्णय का संक्षिप्त विवरण।
2. पिछली राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड बैठक दिनांक 12.05.2015 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन।
3. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के पूर्नगठन का संक्षिप्त विवरण।
4. Assisted Reproductive Technology (ART) ड्राफ्ट बिल का संक्षिप्त विवरण।
5. राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत निरीक्षण, सोनोग्राफी रजिस्ट्रेशन निलम्बन/निरस्तीकरण, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनों की सील व जब्ती, कोर्ट केस व दोषसिद्धी के प्रकरण।
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल रिट पिटीशन जनहित याचिका 349/2006 वोलेन्ट्री हैल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एण्ड अदर्स के प्रकरण में दिनांक 15.09.2015 को पारित निर्देशन की अनुपालना बाबत।
7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच में विचाराधीन जनहित याचिका 3270/12 एस.के. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के प्रकरण में दिनांक 15.04.2015 व 27.07.2015 को जारी निर्देशन की अनुपालना रिपोर्ट एवं भविष्य की कार्ययोजना :--
   I. दिनांक 03.09.2015 को जारी डिकॉय ऑपरेशन हेतु नई गाईडलाईन पर संक्षिप्त जानकारी।
   II. दिनांक 15.07.2015 के बाद राज्य में बेची जाने वाली समस्त सोनोग्राफी मशीनों पर जीपीएस लगवाने हेतु दिनांक 22.09.2015 को जारी की गयी गाईडलाईन पर संक्षिप्त जानकारी।
   III. दिनांक 15.09.2015 को राज्य के पडौसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात राज्य के साथ राज्य नोडल अधिकारी/जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी की अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर कार्यशाला का आयोजन।
   IV. State Institutue of Health & Family Welfare (SIHFW) द्वारा मैपिंग एवं सर्वे ऑफ सोनोग्राफी मशीन एवं राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट।
8. Online Payment of Janani Suraksha Yojana & Shubhlaxmi Yojana (OJAS) पर सकारात्मक बाल जन्म लिंगानुपात (SRB) का जिलेवार ब्यौरा।
9. श्री तिलक राज, पावटा, जोधपुर का प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र जिसमें मन की बात के तहत दो संतान संबंधी नियम को निरस्त करने का सुझाव।

श्री नवीन जैन, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी ने बैठक में आये सभी जिला समन्वयक, पीसीपीएनडीटी को यह सख्त निर्देश दिये कि पर्यवेक्षण बोर्ड में सुझाव/निर्णय पर तुरन्त प्रभावी कार्यवाही की जाये एवं Child Tracking System के निर्धारित लक्ष्य में जो Untracked माता शेष बच रही है, उनका शिशु जन्म की जानकारी शीघ्र हासिल करे ताकि SRB को Trends का पता लगाया जाकर कार्ययोजना बनाई जा सके।

तत्पश्चात अध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड ने सभी माननीय सदस्यों को अवगत करवाया कि राज्य में बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) में संतुलनात्मक स्थिति प्राप्त करना राज्य सरकार की प्रथम वरियता है तथा उन्होने इस लक्ष्य को अमली जामा पहनाने हेतु माननीय सदस्यों से महत्वपूर्ण सुझाव आमंत्रित किये।

माननीय सदस्यों से प्राप्त सुझाव एवं उन पर चर्चा के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय की सहमति के साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :—

1. इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर में भरे जा रहे ऑनलाईन फॉर्म एफ तथा मैन्यूल फॉर्म एफ में द्वितीय तिमाही में सोनोग्राफी करवाने वाली गर्भवती महिलाओं के संतान संबंधी विश्लेषण किया जाये तथा जिन गर्भवती महिलाओं के प्रथम दो संतान बेटियां है, उनकी आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं एएनएम के माध्यम कांउन्सिल करवाकर उनमें बेटा–बेटी एक समान है कि भावना का प्रचार–प्रसार करना तथा मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हे बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
2. जेण्डर संवेदनशीलता एवं समाज में बेटी का महत्व व बेटी की गरिमा बढाने हेतु वर्ष 2015–16 में Youth Development Centre (YDC), National Cadet Corps (NCC), National Service Scheme (NSS), Scout & Guide के माध्यम से राज्य के 1600 महाविद्यालयों में युवाओं के लिये कार्यक्रम आयोजित करवाना। इस प्रकार के संभाग स्तर के बड़े कार्यक्रम ब्रांड एम्बेसेडर दीया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किये जाये।
3. ''बेटी बचाओ अभियान'' के लिये प्रत्येक जिले एवं ग्राम पंचायत स्तर पर एक–एक ब्रांड एम्बेसेडर नियुक्त करना।
4. फॉर्म एफ पूर्ण भरने संबंधी अनिवार्यता के लिये सभी केन्द्रों की काउन्सलिंग करना तथा निजी सोनोग्राफी केन्द्रों के स्टाफ को भी डिकॉय ऑपरेशन में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करना।
5. सोनोग्राफी करवाने के लिये आने वाली गर्भवती महिलाओं के लिये पहचान पत्र प्रस्तुत करने संबंधी जारी गाईडलाईन की पुनः समीक्षा करके इसको सुगम बनाना ताकि आपातकालीन व बिना पहचान पत्र धारी गर्भवती महिला की भी सोनोग्राफी करवाने में व्यवधान को रोका जा सके।
6. माननीय न्यायालय में दायर परिवादों की प्रभावी मॉनीटरिंग एवं मासिक समीक्षा की जाये तथा माननीय न्यायालय द्वारा जिन चिकित्सकों के खिलाफ पीसीपीएनडीटी नियमों के उल्लंघन संबंधी दोषसिद्ध तय की गयी है, उन चिकित्सकों के राजस्थान मेडिकल काउन्सिल द्वारा रजिस्ट्रेशन शीघ्र निलम्बन एवं निरस्त करने की कार्यवाही करवाना तथा प्राबेशन पर छूट चिकित्सको के खिलाफ भी आवश्यक कानूनी कदम उठाना तथा इनकी सूची पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के साथ साझा करना।
7. डिकॉय ऑपरेशन में सहायता करने वालों को लगातार प्रेरित करना। ऐसे व्यक्तियों की जिलेवार गुप्त सूचना की सूची बनवायी जायें।
8. आईएमए, फोग्सी, आईआरआईए के माध्यम से नवाचार "Doctors for Daughters" के अन्तर्गत बेसहारा व गरीब बालिकाओं के लिये शिक्षा व्यवस्था योजना को प्रोत्साहित करना।
9. आशा, आंगनबाडी कार्यकर्ता, एएनएम की सेक्टर स्तर पर आयोजित होने वाली नियमित बैठकों में बेटी बचाओ बेटी पढाओ का प्रचार–प्रसार करने हेतु घर–घर जाकर आशा, आंगनबाडी कार्यकर्ता, एएनएम को प्रेरित करना।
10. सामाजिक सरोकार को बढावा देने हेतु मिठाई, रेस्टोरेन्ट, होटल, सिनेमा एवं मनोरंजन घर के एसोसिएशन से बेटी बचाओ बेटी पढाओ पर प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत 104 टोल फ्री सेवा पर दर्ज करवाने के प्रावधान का प्रचार–प्रसार करना।
11. लड़कियों के उपनाम माता के गौत्र में से चुनने हेतु प्रेरित करना।

12. जिलो में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की प्रभावी क्रियान्वयन में जिला कलक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः नियमित सोनोग्राफी केन्द्रो का निरीक्षण करना, पीसीपीएनडीटी अधिनियम, के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ–साथ जिला स्तर पर आयोजित होने वाली पीसीपीएनडीटी की कार्यशाला में जिला कलक्टर को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जाये तथा राज्य स्तर पर होने वाली कलक्टर्स कान्फ्रेस में पीसीपीएनडीटी विषय को एजेन्डा आईटम में शामिल किये जाये।
13. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक पाठ्यपुस्तक में गिरते लिंगानुपात एवं बालिका गरिमा से संबंधित अध्याय जोड़नें हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पुनः स्मरण पत्र लिखा जाये।

श्री मुकेश शर्मा, प्रमुख शासन सचिव एवं पदेन उपाध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड ने राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आईएमए, आईआरआईए, फोग्सी के पदाधिकारी के साथ लगातार बैठक करने व सहयोग लेने पर जोर दिया तथा इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर में फॉर्म एफ पर और विश्लेषणात्मक माड्यूल जोड़ने पर बल दिया।

राजकुमारी दीया कुमारी, ब्रांड एम्बेसेडर ने सुझाव दिया कि बेटी बचाओ अभियान का अत्यधिक प्रचार–प्रसार किया जाये तथा डिकॉय ऑपरेशन प्रभावी ढंग से किया जाये एवं डिकॉय ऑपरेशन करवाने वालो को प्रोत्साहित किया जाये तथा सवाई माधोपुर जिले में SRB में सकारात्मक परिणाम को शुभ संकेत बताया।

विधायिका संजना आंगरी, सोजत ने सभी समुदायों के धर्म गुरूओं का भी सक्रिय सहयोग लेने का आह्वान किया।

अतिरिक्त मिशन निदेशक श्री नीरज के. पवन ने ग्राम स्तर पर भ्रूण लिंग परीक्षण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने का आह्वान किया तथा राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों का इसमें सक्रिय सहयोग देने की अपील की।

- बैठक लगभग तीन घण्टे तक चली।
- आगामी बैठक नियमित अवधि चार माह के अंतराल पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
- बैठक का समापन अध्यक्ष महोदय व सभी प्रतिभागी सदस्यों को धन्यवाद के साथ किया गया।

(डॉ0 वी.के. माथुर)
निदेशक (प0क0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

A

1. निजी सचिव, अध्यक्ष केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, नई दिल्ली, भारत सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, अध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. उप शासन सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर को आपके पत्र क्रमांक 903937 / cs / 15 दिनांक 26.08.2015 के संदर्भ में।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमति चन्द्रकान्ता मेघवाल माननीय विधायक, रामगंजमण्डी, कोटा बी–13, एम.एल.ए. क्वार्टर, जयपुर, मोबाईल नं. 9413350111, 9414286045
6. श्रीमति संजना आगरी, माननीय विधायक, सोजत, पाली 2/4 विधायक नगर (पश्चिम) जयपुर मोबाइल नं0 9928371601, 9829088165। (Email :- sanjanaagari@gmail.com)
7. श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर, माननीय विधायक बांदीकुई, दौसा, मोबाईल नं. 9414077990
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।

10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सहायक, निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
14. डॉ0 नीता पाटनी, सामाजिक विज्ञानी, डी–8, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर मोबाइल न0 9414238226। (E-mail:-neetapatni@gmail.com)
15. श्री कानसिंह राठौड, विधि विशेषज्ञ, बी–140, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर मोबाइल न0 9414123444
16. श्रीमती सीमा दया, महिला कार्यकर्ता, 3–जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर मोबाइल न0 9829363672 (Email :- seemadaya3@gmail.com)
17. श्रीमती मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 107–यूनिक सांधी अपार्टमेंट, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर मोबाइल न0 9829394789 (E-mail:- manjusharmabjp@gmail.com)
18. डॉ0 सुमन मेहंदीरत्ता, महिला रोग विशेषज्ञ, 4–YA-20, जवाहर नगर, जयपुर मोबाइल न0 9829057336 (E-mail:- drsumanmittal@gmail.com)
19. डॉ0 मृदुल गहलोत, महिला रोग विशेषज्ञ, 2 आकांक्षा गहलोत बंगला, अजमेर रोड, जयपुर मोबाइल न0 9414044445 (Email :- drmridulgehlot@yahoo.com)
20. डॉ0 तरूण पाटनी, अनुवांशिकी विज्ञानी, 119–केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर मोबाइल न0 9314613665 (Email :- drtarunpatni@hotmail.com)
21. डॉ0 सुषमा शर्मा, आनुवांशिकी विज्ञानी, पी–60, राज आंगन एनआरआई कॉलोनी, प्रतापनगर, जयपुर मोबाइल न0 9571106777
22. डॉ0 सतीश जैन, रेडियोलॉजिस्ट, 28–95, भार्गव पथ, मानसरोवर, जयपुर मोबाइल न0 9314285434 (Email :- drskjain007@gmail.com)
23. डॉ0 भोपाल सिंह भाटी, सोनोलॉजिस्ट, चम्बल रेजिडेंसी सिविल लाइन्स, सीएमएचओ कार्यालय के सामने, नयापुरा, कोटा मोबाइल न0 9461515147 (E-mail:-gopal.bhati.gb@gmail.com)

B

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव (आरसीएच), भारत सरकारए कमरा नं0 145ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2. निजी सहायक, निदेशक, पीएनडीटी, (MOHFW) कमरा नम्बर 203–डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110001।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. डॉ. (श्रीमती) मीना आसोपा, आसोपा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर मोबाईल नं. 9414581756, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।
5. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान मार्फत जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, राजस्थान।

C

1. निजी सचिव, राजकुमारी दीया कुमारी, माननीय विधायक, सवाईमाधोपुर एवं ब्राण्ड एम्बेसडर **''बेटी बचाओं अभियान''**, हाल निवास सिटी पैलेस, जयपुर, मोबाईल नं. 8003555511, 9829050077।

D

1. श्री सौरभ श्याम समसेरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को प्रकरण संख्या **CWP (PIL) 349/06 VHAP V/s UOI & Others** के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. श्री जी.एस0 गिल. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर को प्रकरण संख्या **CWP (PIL) 3270/2012 S.K Gupta V/s Union of India & Ors** एवं रिव्यू पिटिशन 99/2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम एवं निदेशक, आईईसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

4. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर।

E

1. परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी एवं उप निदेशक, आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीसीपीएनडीटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज, जयपुर।
3. सहायक निदेशक IEC, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 आईईसी, जयपुर।
4. समस्त जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
6. प्रभारी पीबीआई/प्रभारी अपराध शाखा/राज्य समन्वयक/कनिष्ठ लिपिक/सूचना सहायक राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ एवं सलाहकार आईईसी, मुख्यालय जयपुर।
7. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलॉड करने बाबत्।
8. संबंधित रक्षित पत्रावली।

(किशनाराम ईशरवाल)
परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी), उप निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 05.10.2015 में उपस्थित सदस्यगण व आमंत्रित सदस्यों की सूची:–

A

सदस्य – राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड :–

1. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड, अध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. श्री मुकेश शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर पदेन उपाध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड।
3. श्रीमति संजना आगरी,(माननीय विधायक, सोजत, पाली), 2/4 विधायक नगर (पश्चिम) जयपुर।
4. श्री कैलाश उप शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतिनिधि अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. श्री महेन्द्र कुमार बालोदिया, डीएलआर, विधि विभाग प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. श्री अशोक जांगिड, अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. डॉ0 मनोहर पारिक, ओएसडी आयुष प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. डॉ0 वी.के. माथुर (सदस्य), निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
9. डॉ0 नीता पाटनी, सामाजिक विज्ञानी, डी–8, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
10. श्री कानसिंह राठौड, विधि विशेषज्ञ, बी–140, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर।
11. श्रीमती सीमा दया, महिला कार्यकर्ता, 3–जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर।
12. श्रीमती मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 107–यूनिक सांधी अपार्टमेंट, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर।
13. डॉ0 मृदुल गहलोत, महिला रोग विशेषज्ञ, 2 आकांक्षा गहलोत बंगला, अजमेर रोड, जयपुर।
14. डॉ0 तरूण पाटनी, अनुवांशिकी विज्ञानी, 119–केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
15. डॉ0 सतीश जैन, रेडियोलॉजिस्ट, 28–95, भार्गव पथ, मानसरोवर, जयपुर।
16. डॉ0 गोपाल सिंह भाटी, सोनोलॉजिस्ट, चम्बल रेजिडेंसी सिविल लाइन्स, सीएमएचओ कार्यालय के सामने, नयापुरा, कोटा।

B

सदस्य – राज्य समुचित प्राधिकारी :–

1. श्री नवीन जैन, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. डॉ. (श्रीमती) मीना आसोपा, पत्नी श्री लीलाशंकर आसोपा, निवासी आसोपा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर एवं सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।

C

विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यगण :–

1. श्रीमती राजकुमारी दीया कुमारी, माननीय विधायक, सवाई माधोपुर एवं ब्राण्ड एम्बेसडर, बेटी बचाओं अभियान, राजस्थान जयपुर।

2. श्री नीरज के. पवन, I.A.S., निदेशक आईईसी एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. डॉ0 विशाल सिंह, सीफू प्रतिनिधि निदेशक (SIHFW), राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान।
4. डॉ0 श्रीमती अर्चना जौहरी, सचिव, राजस्थान मेडिकल कौन्सिल, राजस्थान जयपुर।

D

सदस्य – राज्य व जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ :–

1. जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू, सीकर एवं टोंक।
2. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान (जिला समन्वयक अलवर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, राजसमंद एवं सीकर को छोडकर)
3. समस्त स्टाफ राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/पुलिस थाना पीबीआई, राजस्थान जयपुर।

(किशनाराम ईशरवाल)
परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी), उप
निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी राज्य
पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।